2019/00355

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 154/2019 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

रामकुंवार पुत्र स्व॰ श्री छीतर जाति मीणा हाल निवासी 7–गोविन्द वाटिका, दिल्ली बाईपास रोड,जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ पीठासीन अधिकारी श्री विश्वामित्र मीणा आर ए एस।
2. रामकिशन पुत्र स्व॰ छीतर
3. बिरदी चन्द पुत्र स्व॰ छीतर

   समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम माथासूला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ।
4. श्रीमती बिरदी देवी पत्नी स्व॰ कम्बूराम पुत्र वधु स्व॰ छीतर
5. चौथं मल नाबालिग जरिये संरक्षिका माता बिरदी देवी
6. नान्छी देवी पत्नी स्व॰ श्री लालाराम पुत्र वधु स्व॰ धन्ना
7. छाजू पुत्र स्व॰ लालाराम पौत्र धन्ना
8. पूरण पुत्र स्व॰ लालाराम पौत्र धन्ना
9. अमरपाल पुत्र स्व॰ लालाराम पौत्र धन्ना
10. रामपाल पुत्र स्व॰ लालाराम पौत्र धन्ना
11. समदरसी पुत्र स्व॰ लालाराम पौत्र धन्ना
12. लोकेश पुत्र स्व॰ लालाराम पौत्र धन्ना

    समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम माथासूला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ।

तरतीबी अप्रार्थीगण

13. कमलेश पुत्र जगदीश
14. शंकर पुत्र जगदीश
15. विकास पुत्र जगदीश

    समस्त जाति महाजन निवासी ग्राम माथासूला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ।
16. धापा पत्नी छाजूराम जाति जोगी निवासी बाबस की ढाणी गुणावता, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।
17. विमलेश कावट पत्नी कृष्ण कुमार कांवट जाति मीणा निवासी 46, बाल्मिकी मार्ग, गोम डिफेन्स कालोनी, वैशाली नगर, जयपुर ।
18. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

जिला कलक्टर जयपुर जिला जयपुर

जिला कलक्टर
जयपुर

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 105/2019 ब उनवानी रामकिशन व अन्य बनाम कमलेश व अन्य, मय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने बाबत ।

उपस्थितः–

1. श्री नेमीचन्द जलवानिया अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री रघुवीर सिंह राठौड अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 17 की ओर से।

निर्णय दिनांक 14.11.2019

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उक्त उनवानी प्रकरण में अप्रार्थी दिनांक 11.10.2019 को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में गये तथा कुछ समय पश्चात बाहर निकल कर प्रार्थी वादी को जो वहां पर उपस्थित थे यह कहा की तुम्हारा दावा तो यहां से खारिज करवा कर रहेंगे यह सुन कर प्रार्थी वादी आश्चर्य चकित रह गया । जिस कारण उक्त पत्रावली में प्रार्थी वादी को पीठासीन अधिकारी की मिलीभगत होने के तथ्य की जानकारी हुई इससे प्रार्थी वादी को उक्त न्यायालय से निष्पक्ष न्याय प्राप्त होने की कतई उम्मीद नही है और जहां पक्षकारों को न्याय प्राप्त होने की उम्मीद नही हो वहां पत्रावली को चलाने का औचित्य नही है क्योंकि न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त यह कहता है कि पक्षकारान के साथ निष्पक्ष न्याय होना चाहिये। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी वादी से स्पष्ट रूप से कहा कि हमारी पीठासीन अधिकारी से अच्छी जान पहचान है तथा हम तुम्हारा दावा खारिज करवा कर रहेंगे। पीठासीन अधिकारी भी प्रार्थी एवं तरबीती पक्षकारान के ऊपर इस आशय का दबाव बना रखा है कि उक्त प्रकरण में राजीनामा कर लो, क्योंकि तुम्हारा दावा खारिज कर दिया जायेगा। इस प्रकार उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रार्थी को उक्त प्रकरण में श्रीमान से न्याय की आशा नहीं रही है तथा पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण से मिलीभगत कर गुपचुप मे प्रकरण का निस्तारण कर रहे है। साथ ही अप्रार्थीगण यह भी कहते है कि हमारी उच्च अधिकारियों से भी सांठगांठ है एवं राजनेताओं से भी हमारी उंची एप्रोच है तथा प्रकरण को निस्तारण हमारे पक्ष में करवा कर ही रहेंगे। इस प्रकार प्रार्थी का वाद पेश करने का मकसत ही समाप्त हो जायेगा। इसलिए उक्त प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में हस्तान्तरित किया जाना आवश्यक है। ऐसा कथन अंकित कर उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय के समक्ष मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 17 की ओर से श्री रघुवीर सिंह राठौड अधिवक्ता ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
5. प्रार्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने हेतु यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ से टिप्पणी चाही गई थी, किन्तु प्राप्त नहीं हुई है इससे प्रार्थी के कथन को बल मिलता है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर

जिला कलक्टर
जयपुर

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य समकक्ष न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। फलस्वरूपः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

6. उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 105/2019 ब उनवानी रामकिशन व अन्य बनाम कमलेश व अन्य मय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा में मुन्तकिल किया जाता है।

7. उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा प्रकरण दर्ज कर उभय पक्ष को मैरिट पर सुन गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का यथा सम्भव शीघ्र निस्तारण करें। निर्णय की प्रति पालनार्थ उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ एवं शाहपुरा को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

8. निर्णय आज दिनांक 14-11-2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला कलक्टर
जयपुर